बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश सं0–1/एम–1–134/2007 506 पटना, दिनांक– 21-9-07

भारत सरकार का राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम को गति प्रदान करने, राज्य में पेयजल गुणवत्ता से संबंधित सभी कार्यक्रमों को मोनेटरिंग, राज्य स्तरीय जिला स्तरीय प्रयोगशालाओं के सतत् मोनेटरिंग तथा पेयजल गुणवत्ता संबंधित कार्यों में अन्य संस्थानों से संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन अन्तर्गत जल गुणवत्ता यूनिट (Water Quality Unit) का गठन किया जाता है।

(क) जल गुणवत्ता यूनिट के कार्य

(1) राज्य एवं जिला स्तर पर केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करना।

(2) राज्य स्तरीय प्रयोगशाला/जिला स्तरीय प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण तथा उनके कार्यकलापों की सघन मोनीटरिंग।

(3) राज्य के अन्दर या बाहर के संस्थाओं से जल गुणवत्ता से संबंधित कार्यों के लिए समन्वय स्थापित करना।

(ख) जल गुणवत्ता यूनिट (WQU) की संरचना

(i) निदेशक (Director), जल गुणवत्ता यूनिट – (एक अदद) – विभाग के कार्यपालक अभियंता स्तर के पदाधिकारी होगें। जल गुणवत्ता यूनिट इनके नियंत्रण एवं दिशा निर्देश के अनुरूप कार्य करेगा। ये अध्यक्ष/सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति, बिहार राज्य जल स्वच्छता मिशन के मार्गदर्शन में कार्य करेगें।

(ii) सहायक निदेशक (Assistant Director) जल गुणवत्ता कोषांग – (एक अदद) – विभाग के सहायक अभियंता स्तर के पदाधिकारी होगें तथा निदेशक (Director) जल गुणवत्ता कोषांग के नियंत्रण एवं मार्गदर्शन में कार्य करेगें।

Require of employment

(iii) कंसलटेंट – जल गुणवत्ता मोनिटरींग एवं सर्विलेन्स के कार्यों में सहयोग के लिए कन्सलटेन्टों एवं अन्य कर्मियों को आवश्यकतानुसार रखा जायेगा।

(ग) कार्यालय स्थल – जल गुणवत्ता यूनिट का कार्यालय, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के कार्यालय भवन में अवस्थित होगा।

(घ) इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से उपरोक्त विषयक पूर्व में निर्गत सभी आदेश एतत् हद तक संशोधित समझे जायेगें।

21/9/07

(शशि शेखर शर्मा)
सचिव

ज्ञापांकः– 501 दिनांकः– 21-9-07

प्रतिलिपिः–

1. संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पेयजल आपूर्ति विभाग, राजीव गाँधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन, भारत सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. विकास आयुक्त, बिहार/सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग/सचिव, पंचायती राज विभाग/ प्रधान सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/वित्त आयुक्त /अपर वित्त आयुक्त/ प्रधान सचिव/सचिव, माध्यमिक, प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा विभाग/ प्रधान सचिव/सचिव, कल्याण विभाग/ प्रधान सचिव/सचिव, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग/ प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/राज्य प्रतिनिधि, यूनिसेफ पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।